UPMT010042432026

न्यायालय:-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।
उपस्थित-राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2229/2026
नासिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–116/2026, धारा–303(2),317(2) बी०एन०एस०, थाना–रिफाइनरी, जिला मथुरा के अभियुक्त **नासिर** ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा गौरव यादव द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसकी शिव शक्ति कैरियर नाम से लॉजिस्टिक फर्म दिल्ली में है, व उसके ट्रक वेयरहाउस ट्रांसपोर्टेशन में लॉजिस्टिक सुपोर्ट का काम करते हैं, दिनांक–27.04.2026 को उसका ड्राइवर नासिर उसके ट्रक संख्या–HR 55AQ 0672 को हरिनघाटा कलकत्ता पश्चिम बंगाल से फ्लिपकार्ट का माल लेकर वेयरहाउस से चला था, जो दिनांक–28.04.2026 को मथुरा पहुंचा, जिसके बाद उसके द्वारा ट्रक का जीपीएस बंद कर दिया गया। वह अपने ट्रक को ढूढता हुआ आया तो उसके ट्रक के जीपीएस की लास्ट लोकेशन गेट नं०–09 रिफाइनरी थी, जहां पर उसके द्वारा आकर देखा गया तो उसे उसका ट्रक आसपास नहीं मिला, जिसके बाद से ही वह अपने ड्राइवर को संपर्क करने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसका कोई सम्पर्क नहीं हुआ। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त नासिर के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना बरामदगी के आधार पर इस मामले में धारा–317(2) बी०एन०एस० बढ़ोतरी की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–01.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में गाड़ी में लोड माल की कोई संख्या नहीं लिखी है। वास्तविकता में पुलिस द्वारा उक्त गाड़ी को दिनांक–28.04.2026 को ही ड्राइवर नासिर से चैकिंग में सभी कागजात पूर्ण होने के बावजूद नाजायज रूपयों की मांग की गयी, जिसे पूरी न करने पर गाड़ी को थाने पर ले गये और मालिक को बुलाकर साजिश रचकर उक्त झूठी कहानी रचकर अभियुक्त पर झूठा आरोप लगाया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.06.20 09:49:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है और न ही पूर्व में सजायाफ्ता हैं। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के ट्रक को मय माल के चोरी करने व चोरी किया गया ट्रक मय माल के बरामद होने का आरोप है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बताया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक–01.05.2026 से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। उक्त मामले में सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकार हो चुकी हैं। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 50,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल–districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–15.06.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।